संख्या-17/2020/1344/12-2-2020-60(3)/2016

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2020

विषय- वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या- 9/2020/940/12-2-2020-60(3)/2016 दिनांक 12 मई, 2020 के क्रम में वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के जनपदों में निम्नलिखित प्राविधानानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1. भारत सरकार के पत्र संख्या-13015/02/2015-क्रेडिट-II, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा योजना के संचालन हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति, प्रदेश सरकार के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 मई, 2020 में निर्गत निर्देशों तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना को प्रदेश में संचालित किया जायेगा।
2. योजना में अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की निम्न स्थितियों में कृषकों, जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगीः-

2.1 **व्यापक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थितियाँ -**

2.1.1 प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/ असफल बुवाई की स्थिति।

2.1.2 खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा-सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति।

2.1.3 फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति।

2.2 **<u>स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थितियाँ -</u>**

2.2.1 खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.2.2 फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति।

2.3 युद्ध, दुर्भावनापूर्ण क्षति व रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों से क्षति को योजना में कवर नहीं किया गया हैं।

3. अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर की अंतिम तिथि तक निम्नवत् योजना में सम्मिलित हो सकेगें-

3.1 **ऋणी कृषक-** वित्तीय संस्थाओं (व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक/पैक्स) द्वारा अधिसूचित फसल के सापेक्ष मौसमीय कृषि प्रचालन ऋण/के0सी0सी0 ऋण की स्वीकृत सीमा को सम्बन्धित संस्था द्वारा कवर किया जायेगा। बैंकों में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप अधोमानक के0सी0सी0/फसली ऋण को योजना में कवर नहीं किया जायेगा, यद्यपि ऐसे कृषकों को गैर ऋणी कृषकों की भाँति अपनी अधिसूचित फसल का बीमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। **सभी ऋणी कृषकों हेतु आधार आवश्यक होगा।**

ऋणी किसानों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से बैंक शाखा को, जहाँ से किसान की फसली ऋण की स्वीकृति हुई है, को अवगत कराना होगा।

3.2 **गैर ऋणी कृषक-** स्वैच्छिक आधार पर निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा करा सकेंगे।

3.3 **योजना में सम्मिलित होने वाले सभी गैर ऋणी कृषकों हेतु 'आधार' आवश्यक है।** बैंक शाखाओं/पैक्स/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल पर अपनी अधिसूचित फसल का आनलाइन बीमा कराते समय कृषकों के आधार नम्बर के साथ ही मोबाइल नम्बर व बैंक खाते का विवरण अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

3.4 ऋणी व गैर ऋणी कृषक द्वारा अग्रिम फसल बुआई योजना के आधार पर फसलों की वास्तविक बुआई से पूर्व भी योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा। किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित/बीमित फसल के स्थान पर अन्य कोई फसल बोए जाने की स्थिति में **बीमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि के दो कार्य दिवस के पूर्व तक सम्बन्धित संस्था यथा बैंक शाखा/बीमा कम्पनी** के एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/सीधे फसल बीमा पोर्टल, जिसके माध्यम से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है, से संशोधित फसल के अनुरूप प्रीमियम के अन्तर की धनराशि (कम प्रीमियम की देयता की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा अधिक लिये गये प्रीमियम को वापस कर दिया जायेगा तथा अधिक प्रीमियम की देयता की स्थिति में कषृक द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में कृषक द्वारा जमा प्रीमियम के अनुरुप ही बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा) एवं बोए गये क्षेत्र के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमाण पत्र के साथ फसल में परिर्वतन की सूचना बीमा कम्पनी को दी जानी आवश्यक है।

4. खरीफ व रबी मौसम में योजनान्तर्गत निम्न फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल उपलब्ध होने पर अधिसूचित किया गया हैः-

4.1 **खरीफ-** धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर।

4.2 **रबी-** गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू व अलसी।

4.3 जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनी एंव खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल का विवरण परिशिष्ट-1 में उल्लिखित है। अधिसूचित क्षेत्रवार (ग्रामपंचायतवार) अधिसूचित फसलों, जिनका बीमा कृषकों द्वारा कराया जा सकेगा, का विवरण **परिशिष्ट-क** पर उल्लिखित है। फसलों के अद्यतन आच्छादन के आधार पर **परिशिष्ट-क** में उल्लिखित अधिसूचित क्षेत्र/फसल की सूची में आंशिक संशोधन करने हेतु निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अधिकृत होगें।

4.4 प्रत्येक जनपद में अधिकृत बीमा कम्पनी का विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लिखित है।

5. खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल हेतु इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाला प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार विवरण परिशिष्ट-3 व 4 में उल्लिखित है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा परन्तु प्रीमियम दर सिंचित क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित होने की दशा में अन्तर की बढ़ी हुई सम्पूर्ण धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

6. योजना में फसलों की क्षति का आंकलन बीमा इकाई स्तर पर किया जायेगा। व्यापक आपदाओं में ग्राम पंचायत एवं स्थानिक आपदाओं में व्यक्तिगत कृषक के खेत को बीमा की इकाई के रूप में मानते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा। व्यापक आपदाओं एवं स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में क्षति के आंकलन की प्रक्रिया व देय क्षतिपूर्ति का विस्तृत विवरण प्रस्तर-8 में उल्लिखित है।

7. कृषकों से प्रीमियम का एकत्रीकरण व बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किया जाना-

7.1 फसल बीमा योजना के अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल बैंक प्रणाली, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स)/सहकारी बैंक शाखाओं की स्थिति में जिला सहकारी बैंक एवं व्यवसायिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सम्बन्धित ऋण वितरण शाखा के रूप में क्रियान्वयन कर रही हैं, यथावत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।

7.2 प्रशासनिक बैंक/नियंत्रक बैंक द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं को योजना से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे तथा बैंक शाखाओं से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा में प्रत्येक बीमित कृषक के विवरण यथा बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक की श्रेणी (अनु0जा0/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनु0ज0जा0/अन्य)/महिला, बैंक खाता विवरण, आधार व मोबाइल नम्बर के विवरण को अनिवार्य रूप से फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

7.3 नोडल बैंक/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ, जन सेवा केन्द्र द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकवार बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने पर ही कृषक नियमानुसार बीमा कवरेज का पात्र होगा एवं तत्क्रम में ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर अनुदान की धनराशि जारी की जायेगी।

7.4 **नोडल बैंक/शाखा/पैक्स तथा बीमा ऐजेन्ट की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान के फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था द्वारा ही कृषकों की हानियों की भरपाई की जायेगी।**

7.5 नोडल बैंक/पैक्स तथा बीमा एजेन्ट, जन सेवा केन्द्र द्वारा योजना में सम्मिलित होने वाले ऋणी व गैर ऋणी कृषकों को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। बीमा एजेन्ट, जन सेवा केन्द्र द्वारा कृषकों के "आधार" विवरण के आधार पर कृषक की पहचान सुनिश्चित करते हुए प्रस्ताव फार्म में दिये गये विवरण के अनुरूप पोर्टल पर आनलाईन बीमा किया जायेगा। आनलाईन बीमा के समय ही आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड किये जाने में बीमा कम्पनी द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

7.6 **वित्तीय संस्थाओं-** व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक/पैक्स द्वारा ऋणी कृषक की अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल व क्षेत्रफल हेतु स्वीकृत/नवीनीकृत फसली ऋण की राशि (फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट-3 व 4 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की अधिकतम सीमा तक) को खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक योजना में कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनान्तर्गत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु प्रीमियम की धनराशि के बराबर अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

7.7 ऋणी किसानों की अपनी बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से बैंक शाखा को अवगत कराना होगा। यदि ऋणी कृषक का बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक को बैंक द्वारा अनिवार्य बीमा कवर से हटा ¼Remove½ दिया जायेगा।

7.8 बैंक शाखा द्वारा ऐसे ऋणी कृषक जिन्होंने योजना में प्रतिभाग नहीं करने ¼Opting out½ के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया है, उन्हें योजना में कवर नहीं किया जायेगा। बैंक द्वारा गलती से ऐसे ऋणी कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करके योजना में कवर किया जाता है तो बैंक शाखा द्वारा प्रीमियम की धनराषि कृषक के खाते में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वापस की जायेगी तथा यदि क्षतिपूर्ति बनती है तो 30 दिन के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि बैंक शाखा द्वारा बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी।

7.10 कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने ¼Opting out½ एवं प्रतिभागिता करने ¼Opting in½ के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र उसी बैंक शाखा में दिया जायेगा, जहाँ से कृषक का के0सी0सी0 खाता बना है।

7.11 ऋणी कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने ¼Opting out½ के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र बैंक शाखा को लिखित रूप से नहीं देने की दशा में बैंक शाखा द्वारा ऐसे ऋणी कृषक का बीमा अनिवार्य आधार पर किया जायेगा। बैंक द्वारा ऐसा नहीं करने पर यदि क्षतिपूर्ति बनती है तो बैंक शाखा द्वारा देय क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

7.12 ऋणी कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता नहीं करने ¼Opting out½ के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद बैंक शाखा द्वारा वर्तमान मौसम एवं आगामी वर्षों/मौसमों में योजना में कवर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऋणी कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता करने ¼Opting in½ के सम्बन्ध में बैंक शाखा में प्रार्थना पत्र पुनः नहीं दिया जाता है।

ऐसे ऋणी कृषक जिन्होंने पहले योजना में प्रतिभागिता नहीं करने ¼Opting out½ का प्रार्थना पत्र दिया था, परन्तु अब कृषक द्वारा योजना में प्रतिभागिता करने ¼Opting in½ हेतु प्रार्थना पत्र दिया है एवं बैंक शाखा द्वारा योजना में कवर नहीं किया जाता है तो क्षतिपूर्ति देय होने पर सम्बन्धित कृषक को सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

7.13 यह आवश्यक है कि बैंक शाखा द्वारा ऋणी कृषक की प्रीमियम अंश की कटौती बीमा कराने की Cut-of-date के अन्तिम 07 दिनों में करें।

(i) नये के0सी0सी0 बनाने के समय, पुराने के0सी0सी0 को नवीनीकृत ¼Renew) करने के समय, बैंक सम्बन्धित किसान को फसल बीमा में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में जानकारी देगी।

(ii) बैंक प्रचार-प्रसार करके ऋणी कृषकों को बीमा में प्रतिभागिता के सम्बन्ध में अवगत करायेगी।

7.14 वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तर-9 में कार्यो के सम्पादन हेतु निर्धारित समय सारणी/उल्लिखित अंतिम तिथियों तक कृषकों के प्रीमियम की धनराशि व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बीमा कम्पनियों को प्रेषण, फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषक के कवरेज के विवरण को अपलोड करने व पोर्टल के माध्यम से बीमित कृषकों के मोबाइल नं0 पर एस0एम0एस0 द्वारा अवगत कराने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।

7.15 ऋणी कृषक हेतु बीमित राशि कृषक द्वारा ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण के समय बैंक शाखा में प्रस्तुत किये गये ऋण आवेदन फार्म में फसल के घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) को फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-3 व 4 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि से गुणा कर निर्धारित करते हुए खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक योजना में कवर किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित क्षेत्र में दिनांक 31 जुलाई तथा रबी अधिसूचित फसल हेतु स्वीकृत/नवीनीकृत ऋण सीमा को भी इसी प्रकार खरीफ मौसम में मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक योजना में कवर किया जायेगा।

7.16 बीमा कराने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात स्वीकृत/नवीनीकृत फसली ऋण को योजना के अनुरूप पात्र होने पर अगले मौसम में ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजना में कवर किया जायेगा।

7.17 वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर अधिक बीमा होने व तत्क्रम में Area correction Factor का प्राविधान प्रभावी होने की स्थिति से बचने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषक के ऋण आवेदन फार्म में फसलवार उल्लिखित क्षेत्रफल के अनुरूप सही-सही बीमा कवरेज की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

7.18 अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 1 अप्रैल से 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर की अवधि में अपने निकटतम् बैंक शाखा/जनसेवा केन्द्र/क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा कराया जा सकेगा। योजना में सम्मिलित होने के समय गैर ऋणी कृषकों द्वारा प्रस्ताव फार्म में बीमा कवरेज का विवरण यथा अपना आधार नम्बर, बीमित फसल, बीमा इकाई क्षेत्र (ग्राम पंचायत), बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम, कृषक श्रेणी (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अन्य)/महिला, बैंक खाता विवरण, आधार संख्या व मोबाइल नम्बर का विवरण अंकित करते हुए प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।

7.19 प्रत्येक गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में बीमित फसल हेतु घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड की गयी राज्य सरकार की अधिसूचना के परिशिष्ट-3 व 4 में जनपद/फसल के सम्मुख अंकित प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।

7.20 कृषकों, जिनके "आधार" नम्बर उपलब्ध नहीं हैं, द्वारा भी योजनान्तर्गत आधार नम्बर हेतु पंजीकरण के विवरण के साथ अपनी फसल का बीमा इस प्रतिबन्ध के साथ कराया जा सकेगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर का विवरण एक माह में सम्बन्धित संस्था को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिनके माध्यम से बीमा कराया गया है।

7.21 बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. **फसलों की क्षति का आंकलन व क्षतिपूर्तिः-**

8.1 **व्यापक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में -**

8.1.1 योजना में खड़ी फसलों को व्यापक प्राकृतिक आपदाओं- सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से हुई क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में ग्राम पंचायत में अधिसूचित खड़ी फसल पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जायेगाः-

क्षतिपूर्ति= (गारण्टीड उपज - वास्तविक उपज) X बीमित राशि
गारण्टीड उपज

- **गारण्टीड उपज-** ग्रामपंचायत में फसल की गारण्टीड उपज फसल की विगत 07 वर्षों की औसत उपज में से 05 सर्वाधिक उपज की औसत को फसल की इण्डेम्निटी स्तर से गुणा करके आंकलित किया जायेगा। वर्ष 2020-21 की गारण्टीड उपज के आंकलन हेतु वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के आँकड़ों का उपयोग किया जायेगा। इस प्रकार बीमित फसल की आंकलित गारण्टीड उपज तीनों वर्षों 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के लिए समान होगी।
- **इण्डेम्निटी स्तर =** अधिक अथवा कम जोखिम के अनुरूप जनपद स्तर पर इण्डेम्निटी स्तर फसलवार क्रमशः 80 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

प्रक्रिया- योजना में ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी बीमित कृषकों को आपदा से समान रूप से प्रभावित मानते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिसूचित फसलों पर मौसम के अन्त में राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन सांख्यिकी विधि से चयनित खेतों में कराया जायेगा एवं प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों को कृषि विभाग में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, को प्राथमिकता पर प्रेषित किया जायेगा। कृषि विभाग के स्तर पर ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसल की उपज का आंकलन करते हुए निर्धारित समय सीमा में सम्बन्धित बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु फसलों की कटाई स्तर पर अधिकाधिक प्रयोगों की जाँच जनपद स्तर पर सुनिश्चित करायी जायेगी। फसल कटाई प्रयागों के सम्पादन की प्रक्रिया का जनपद के बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा। जनपद स्तर पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों द्वारा बीमा कम्पनी को इस सम्बन्ध में यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश के राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों-लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा अधिसूचित फसलों पर आयोजित किये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया, फसल की दशा सम्बन्धी चित्र, चयनित खेत की भू-स्थिति की सूचनाओं के साथ उपज के आकड़े फसल बीमा ऐप (CCE Agri App) के माध्यम से अपलोड किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति- निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश कार्यालय से अधिसूचित फसलों के उपज के आंकड़े प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस (अधिकतम 21 कार्य दिवस) के अन्दर कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा योजना के प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8.1.2 **तात्कालिक सहायता-** फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की अनुमानित उपज में सामान्य उपज की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की स्थिति में तात्कालिक सहायता निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदान की जायेगी-

$$\text{तात्कालिक सहायता} = \frac{(\text{गारण्टीड उपज} - \text{अनुमानित उपज})}{\text{गारण्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

प्रक्रिया- जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण प्रभावित ग्रामपंचायत व फसल में क्षति की सूचना प्राथमिकता पर 03 कार्य दिवस के अंदर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय को लिखित रूप से दिया जायेगा। इन सूचनाओं के आधार पर जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्रामपंचायत व फसल में हुई क्षति की सूचना आपदा के 07 कार्य दिवस के अन्दर लिखित रूप से बीमा कम्पनी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन प्राथमिकता पर किया जायेगा। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य आपदा के 15 दिन की निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करते हुए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन व भुगतान हेतु प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण शर्तें-

- इस जोखिम के अंतर्गत फसल की कटाई के 15 दिन पूर्व तक फसल की क्षति को संज्ञान में लिया जायेगा।
- बीमा कम्पनी द्वारा फसल की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रभावित फसल के बीमित कृषकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- बीमा कम्पनी द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की ऑकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

8.1.3. जब ग्राम पंचायत में अधिकांश क्षेत्र (ग्रामपंचायत का 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र) में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति होती है, तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उन स्थितियों में फसलों की क्षति के आंकलन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का प्राथमिकता पर भुगतान ग्रामपंचायत में बीमित कृषकों को अंतिम रूप से बीमा कम्पनी द्वारा कर दिया जायेगा एवं प्रभावित ग्राम पंचायत/फसल के बीमित कृषको का आगे बीमा कवरेज समाप्त माना जायेगा।

प्रक्रिया-

जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत, फसल व प्रभावित क्षेत्र की सूचना प्राथमिकता पर 03 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय को लिखित रूप से दी जायेगा। इन सूचनाओं के आधार पर जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा प्रभावित ग्रामपंचायत/फसल व फसल के क्षेत्रफल के विवरण को आपदा के 07 कार्य दिवस के अन्दर लिखित रूप से बीमा कम्पनी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण शर्तें-

- प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल की लिखित सूचना जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय से जारी होने के पश्चात् बीमा कम्पनी द्वारा जनपद की बैंक शाखाओं/पैक्स/जनसेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट को प्रभावित ग्रामपंचायत/ फसल को आगे बीमा कवरेज प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश देते हुए प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- जिलाधिकारी अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा विलम्बतम् खरीफ मौसम में दिनांक 15 अगस्त व रबी मौसम में 15 जनवरी तक ही प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल की लिखित सूचना जारी की जा सकेगी।

क्षतिपूर्ति-

बीमा कम्पनी द्वारा आपदा प्रभावित ग्रामपंचायत/फसल के बीमित कृषको को बीमित राशि के 25 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति का भुगतान सूचना प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

8.2 **स्थानिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में-**

खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से फसलों की क्षति स्थानीकृत रूप से होती है, जिसमें सीमित क्षेत्र में ही फसलों को क्षति होती हैं। इन जोखिमों से क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को व्यक्तिगत स्तर पर आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत मे व्यय के अनुरूप प्राथमिकता पर आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

महत्वपूर्ण शर्तें-

- कृषकों को आपदा के 72 घण्टें के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। कृषक द्वारा स्वयं अथवा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं0/सम्बन्धित बैंक शाखा/जनपद के कृषि अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जा सकता है। कृषक द्वारा स्वयं के स्थान पर जनपद के बैंक शाखा/कृषि/राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से आपदा के 72 घण्टें के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में बैंक शाखा/सम्बन्धित अधिकारी को सूचना प्राप्त होने के अगले 48 घण्टें के अन्दर कृषक के व्यक्तिगत दावे को जनपद की बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
- बीमित कृषकों द्वारा व्यक्तिगत दावे में अपनी ग्राम पंचायत, प्रभावित खेत का खसरा नम्बर, फसल व प्रभावित क्षेत्र का विवरण दिया जाना अपेक्षित है।

प्रक्रिया -

1. बीमा कम्पनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के 48 घण्टें के अन्दर व्यक्तिगत आधार पर क्षति के आंकलन हेतु पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता के बीमा सर्वेयर की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।
2. बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा अगले 10 कार्य दिवस में जनपद के क्षेत्रीय स्तर के नामित अधिकारी (जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा) व कृषक की उपस्थिति में फसल की क्षति का आंकलन बीमित कृषक के खेत स्तर पर फसल के घटना के समय तक उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप किया जायेगा।
3. ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने की स्थिति को बीमा कम्पनी द्वारा तत्काल जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय के संज्ञान में लाया जायेगा। जिलाधिकारी/ उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन प्राथमिकता पर किया जायेगा। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रैण्डम आधार पर संयुक्त सर्वेक्षण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करते हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन व भुगतान हेतु प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में अधिसूचित फसल के बीमित कृषकों, जिनके द्वारा आपदा के 72 घंटे के अंदर बीमा कम्पनी को सूचित किया गया है, नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे।
4. जिलाधिकारी/ उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व कर लिया जाय ताकि आपदा की स्थिति में निर्धारित समयावधि में प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन एवं भुगतान हेतु प्राप्त हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. बीमा कम्पनी द्वारा जनपद के कृषि विभाग के कार्यालयों, तहसील कार्यालयों आदि पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत दावा प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

आंशिक क्षतिपूर्ति- बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण के 15 दिन के अन्दर आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

9. **<u>योजनान्तर्गत कार्यों के निष्पादन की निर्धारित समय सारिणी-</u>**

क्र. सं.	कार्यक्रम	कार्यों के निष्पादन की निधारित समय सारिणी	
		खरीफ	रबी
1	बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार	15 मार्च से प्रारम्भ	15 सितम्बर से प्रारम्भ
2	कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की समयावधि	01 अप्रैल से 31 जुलाई	01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
3	बैंक शाखाओं (व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स)/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसम्बर
4	बैंक शाखाओं (व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स) द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम व घोषणा पत्र को बीमा कम्पनी को प्रेषण तथा फसल बीमा पोर्टल पर प्रत्येक बीमित कृषक के बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने की अंतिम तिथि	खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसम्बर के उपरांत 15 कार्यदिवस के अंदर।	
5	जन सेवा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम व घोषणा पत्र को इलेक्ट्रानिक माध्यम से बीमा कम्पनी को प्रेषण करने की अंतिम तिथि	खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसम्बर के उपरांत 48 घंटे के अंदर।	
6	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध बीमित कृषकों के विवरण को स्वीकार/अस्वीकार करने की अन्तिम तिथि	पोर्टल पर बैंक शाखाओं (व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/जिला सहकारी बैंक/पैक्स) एवं जन सेवा केन्द्र/बीमा कम्पनी के एजेन्ट द्वारा डाटा/सूचना अपलोड किये जाने के पश्चात 15 दिन के अन्दर।	
7	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा पोर्टल पर विसंगति/अपूर्ण विवरण, जैसा कि बीमा कम्पनी द्वारा	बीमा कम्पनी द्वारा सूचित किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	सूचित किया गया है, के निराकरण की अन्तिम तिथि		
8	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा विसंगति का निराकरण कर पोर्टल पर अपलोड किये गये विवरण को बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने की अन्तिम तिथि	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा Corrected विवरण प्रस्तुत किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	
9	बैंक शाखाओं/पैक्स/जन सेवा केन्द्र/बीमा एजेन्ट द्वारा बीमित कृषकों को प्राप्ति रसीद व बीमा कवरेज से सम्बन्धित फोलियो नम्बर बीमित कृषकों को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि	बीमा कम्पनी द्वारा बीमा कवरेज के विवरण को स्वीकार किये जाने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	
10	बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को अंतिम रूप देने एवं बीमित कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण का पोर्टल पर स्वतः स्वीकृति (Auto approval) की अन्तिम तिथि	खरीफ में 31 जुलाई व रबी में 31 दिसम्बर के उपरांत 60 कार्यदिवस के अंदर।	
11	बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि-		
	I. राज्यांश की प्रथम माँग (गत मौसम की प्रगति के अनुरूप अनुमानित)	31 जुलाई तक	31 दिसम्बर तक
	II. राज्यांश की द्वितीय माँग (पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुरूप)	प्रत्येक मौसम में फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड प्रगति विवरण के Auto approval के 15 दिन के अन्दर।	
	III. राज्यांश की अंतिम माँग (योजनान्तर्गत अवशेष समस्त माँग)	प्रत्येक मौसम में पोर्टल पर अन्तिम प्रगति विवरण को अपलोड करने/विसंगतियों के निराकरण के पश्चात्।	
12	फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन हेतु स्मार्टफोन/फसल कटाई एप्प (CCE Agri App) का उपयोग करते हुए पोर्टल पर सूचनाओ के प्रेषण हेतु राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों का पंजीकरण	31 अगस्त के पूर्व	31 जनवरी के पूर्व
13	बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	के सम्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन करने हेतु अपने कार्मिकों के मोबाइल नम्बर का पंजीकरण		
14	राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के नियोजन व प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथि के विवरण को पोर्टल पर अपलोड व पुष्टि किये जाने की अन्तिम तिथि	फसल कटाई प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथियों के 07 दिन पूर्व Tentative कार्यक्रम व तिथि को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा कार्यक्रम व तिथि में संशोधन की स्थिति में फसल कटाई प्रयोगों हेतु निर्धारित तिथि के 01 दिन पूर्व पुष्टि की जायेगी।	
15	बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन में विसंगति की सूचना प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात फसल कटाई एप्प (CCE Agri App) के माध्यम से सूचित करने की निर्धारित समय सीमा	फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के पश्चात 02 घण्टें के अन्दर।	
16	राज्य के नोडल विभाग द्वारा फसलों की उपज के आकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	फसल कटाई सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर।	
17	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आँकड़ों में किसी भी विसंगति को सूचित करने की अन्तिम तिथि	राज्य के नोडल विभाग द्वारा उपज के आँकड़े पोर्टल पर अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	
18	राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग (जनपद/राज्य स्तर) द्वारा उपज के आकड़ों में बीमा कम्पनी की शिकायत का निस्तारण	बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई शिकायत के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	
19	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आँकड़ों की स्वतः स्वीकृति ¼Auto approval½	बीमा कम्पनी द्वारा उपज के आकड़ों की शिकायत का राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग (जनपद/राज्य स्तर) से निस्तारण के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	
20	पोर्टल पर अपलोड किये गये उपज के आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण ¼Auto processing½ तथा पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का ग्रांम पंचायत वार व फसल वार विवरण अपलोड करने की अन्तिम तिथि	राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर उपज के आँकड़े अपलोड करने के 07 कार्य दिवस के अन्दर।	
21	बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की अन्तिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण ¼Auto processing½ के 14 कार्य दिवस के अन्दर।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22	बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि इलेक्ट्रानिक माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में जमा कराने की अंतिम तिथि	पोर्टल पर क्षतिपूर्ति का स्वतः निर्धारण ¼Auto processing½ के 15 कार्य दिवस (अधिकतम 21 कार्यदिवस) के अन्दर।
23	निम्न स्थितियों में क्षति के आंकलन व क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु अंतिम तिथि 1. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, 2. फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति, 3. स्थानिक आपदाओं से खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति 4. फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/ चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में	अधिसूचना के प्रस्तर-8 के अनुरूप।

नोटः- योजनान्तर्गत कार्यो के सम्पादन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पर सार्वजनिक अवकाश होने अथवा सामान्य तकनीकी सेवाएं बाधित रहने की स्थिति में अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जायेगा।

10. **क्षतिपूर्ति का भुगतानः-**

10.1. प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति व स्थानिक आपदाओं में क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा राज्यांश की प्रथम माँग के आधार पर किया जायेगा तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति व फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की द्वितीय माँग के आधार

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर राज्य स्तर से प्राप्त अनुदान की धनराशि के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान को निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में ब्याज सहित देय क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित कृषकों को किया जायेगा।

10.2. उप कृषि निदेशक द्वारा बीमा कम्पनी के समन्वय से प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति तथा फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की सामान्य उपज के सापेक्ष अनुमानित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति से सम्बन्धित ग्राम पंचायत, फसल व प्रभावित क्षेत्र के प्रतिशत को निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, तत्पश्चात् क्षति के आंकलन व क्षतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर पर कृषि, राजस्व व बीमा कम्पनी की संयुक्त समिति के आंकलन रिपोर्ट के अनुरूप बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जायेगा।

10.3 बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान सीधे सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा व एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को सूचित किया जायेगा। बैंक शाखा द्वारा भी लाभार्थी कषकों की सूची को शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा।

10.4 आपदा की विभिन्न स्थितियों में बीमा कम्पनी द्वारा पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता के सर्वेयर ¼Loss Assessors½ की नियुक्ति घटना के 48 घंटे के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के प्राविधानों के अनुरूप समयबद्ध रूप से फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए कृषकों को देय क्षतिपूर्ति सुलभ करायी जा सके।

10.5 बीमा कम्पनी द्वारा जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी को लाभार्थी कृषकों की सूची जिसमें कृषक का नाम, ग्रामपंचायत व फसल का नाम, देय क्षतिपूर्ति की धनराशि आदि पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

11 **बैंक व जनसेवा केन्द्र/बीमा एजेण्ट को देय सर्विस चार्जः-**

11.1 बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुरूप बैंको द्वारा कृषकों से एकत्रित प्रीमियम अंश पर 04 प्रतिशत की दर से सर्विस चार्ज देय होगा जिसका भुगतान पोर्टल पर बीमा की अंतिम प्रगति विवरण के 15 दिन के अंदर सम्बन्धित बैंक को भुगतान करना होगा। बीमा की अंतिम प्रगति विवरण के 15 दिन के पश्चात् बैंक को सर्विस चार्ज का भुगतान करने पर बीमा कम्पनी को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से दण्ड ब्याज वहन करते हुए सम्बन्धित बैंक शाखा को देय सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा।

11.2 बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार के निर्धारित दर पर जनसेवा केन्द्र को सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा जो प्रति बीमित कृषक के आधार पर अनुमन्य होगा। सर्विस चार्ज के भुगतान के अंतर्गत कृषकों के बीमा कवरेज के विवरण को आनलाइन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपलोड करने, भू-स्वामित्य प्रमाण पत्र/खतौनी, बैंक पासबुक अपलोड करने व प्राप्ति रसीद जारी करने की सेवाएं सम्मिलित रहेंगी।

12. भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक व इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के अधीन जनसेवा केन्द्रों की सेवाओं को फसल बीमा योजनाओं में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने हेतु बीमा कम्पनियों द्वारा जन सेवा केन्द्र से अलग से अनुबन्ध आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा जनसेवा केन्द्र से बीमित प्रत्येक कृषक हेतु प्रति मौसम सर्विस चार्ज का भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप देय होगा, जिसका भुगतान मौसम विशेष में बीमा की प्रगति को अन्तिम रूप देने के 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा।

13. बीमा कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जन सेवा केन्द्रों से बीमा कराने वाले कृषकों से कृषक द्वारा देय प्रीमियम की धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य कोई धनराशि/फीस न ली जाय।

14. बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में स्थानिक आपदाओं-ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में आपदा के समय तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप क्षति के आंकलन हेतु परिशिष्ट-5 (खरीफ फसल) व परिशिष्ट-6 (रबी फसल) पर अंकित तालिका के अनुरूप फसलों की क्षति के आंकलन की कार्यवाही की जायेगी।

15. प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बोवाई की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों/फसलों को चिन्हित करने हेतु निम्न उपलब्ध आंकड़ों को लिया जायेगा-
    - सेटेलाइट/यूएवी रिमोर्ट सेसिंग डाटा।
    - स्वचालित मौसम केन्द्रों/वर्षामापी केन्द्रों पर उपलब्ध डाटा।
    - MNCFC रिपोर्ट/सूखे के आंकलन हेतु किये गये अध्ययन की रिपोर्ट।

16. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्वचालित मौसम केन्द्रों के नेटवर्क को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार स्थापित कराया जायेगा। क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा इन स्वचालित मौसम केन्द्रों पर उपलब्ध मौसम के प्रतिदिन के आंकड़ों को Rental Basis पर क्रय कर अनिवार्य रूप से योजना के क्रियान्वयन में उपयोग करते हुए कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

17. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रीमियम व घोषणा पत्र को बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित संस्था, जिसके द्वारा बीमा किया गया है, का होगा।

18. **इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रीमियम व क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रेषणः-**
    - बैंक, जनसेवा केन्द्र व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर Payment gateway (Pay-Gov) अथवा RTGS/NEFT के माध्यम से प्रीमियम की धनराशि को अनिवार्य रूप से बीमा कम्पनी को निर्धारित समय-सीमा में प्रेषित किया जायेगा। बीमा कम्पनियों का बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बीमा कम्पनी, बैंक शाखा, जनसेवा केन्द्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व बीमा एजेण्ट द्वारा फसल बीमा हेतु अलग से बैंक खाता खोलते हुए लेन-देन किया जायेगा। किसी भी स्थिति में बैंकर्स चेक/डिमाण्ड डाफ्ट के माध्यम से धनराशि का प्रेषण अनुमन्य नहीं होगा।

- बीमा कम्पनियों को पोर्टल पर अधिसूचना सम्बन्धी विवरण व कृषक स्तर पर बीमा कवरेज व बीमित कृषक के बैंक खाते के विवरण हेतु लॉगिन सुविधा प्रदान की जायेगी। बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर आंकड़ों का सत्यापन, विसंगतियों का निराकरण, क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए सीधे कृषक के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि को प्रेषित किया जायेगा।

19. **फसल बीमा पोर्टल पर सूचनाओं का अपलोड किया जाना -**

- बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के पूर्ण विवरण को बीमा इकाई क्षेत्र की सेन्सस कोड मैपिंग के साथ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल- www.pmfby.gov.in पर अधिसूचना जारी होने के पश्चात प्राथमिकता पर अपलोड किया जायेगा ताकि बैंक शाखाओं/पैक्स/बीमा एजेन्ट/जन सेवा केन्द्र/कृषक के स्वयं के द्वारा पोर्टल पर कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने की कार्यवाही तद्नुसार निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करायी जा सके।
- भारत सरकार स्तर पर विकसित फसल बीमा पोर्टल के अतिरिक्त बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों के विवरण को एकत्रित करने हेतु अन्य कोई प्रोफार्मा/पोर्टल को वितरित/अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
- बीमित कृषकों, जिनका बीमा का कवरेज विवरण भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, को ही बीमा कवरेज हेतु अनुमन्य माना जायेगा एवं पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम पर अनुदान की धनराशि का भुगतान बीमा कम्पनी को जारी किया जायेगा।
- पोर्टल पर क्षतिपूर्ति के विवरण के Auto approval के पश्चात् अगले दो हफ्तों में कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, चाहे बीमा कम्पनी द्वारा विभाग स्तर से राज्यांश की द्वितीय किस्त प्राप्त की गयी है अथवा नहीं।
- बीमा कम्पनी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध बीमित कृषक के व्यक्तिगत विवरण यथा आधार नम्बर, बैंकिंग विवरण, पता व मोबाइल नम्बर को कहीं भी प्रदर्शित/वितरित नहीं किया जायेगा।
- बीमा कम्पनियों द्वारा कार्य आदेश जारी किये जाने के 07 दिन के अन्दर निर्धारित योग्यता के बीमा एजेन्टों की ब्लाकवार सूची (पूर्ण विवरण सहित) फसल बीमा पोर्टल के साथ ही प्रदेश के नोडल विभाग व जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा बीमा कम्पनी के समन्वय से प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पाने/असफल बुवाई की स्थिति, फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों, फसलों, प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत का विवरण निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इसी प्रकार बीमा कम्पनी द्वारा स्थानिक आपदाओं से खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति की स्थिति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से क्षति की स्थिति में आपदा प्रभावित क्षेत्रों, प्राप्त व्यक्तिगत दावों, सर्वेक्षण की स्थिति व क्षतिपूर्ति के विवरण को निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

- फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर ग्रामपंचायतवार फसलों की उपज का आंकलन कर निर्धारित समय-सीमा में फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा/बीमा कम्पनी को प्रेषित किया जायेगा।

20. **बीमा कम्पनी का कार्यालयः-**

बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम स्तर के पूर्णकालिक अधिकारी व कार्मिकों की नियुक्ति कार्यालय स्तर पर टेलीफोन की लैण्डलाइन की सुविधा सहित राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। बीमा कम्पनी के प्रदेश कार्यालय स्तर पर फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का पूर्ण डाटा अपडेट रखा जायेगा तथा प्रदेश शासन व निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय एवं उद्यान विभाग को नियमित रूप से एवं आवश्यकतानुसार समय-समय पर माँगे जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। बीमा कम्पनी के प्रदेशीय प्रमुख द्वारा प्रदेश शासन, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व बैंकों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर आहूत बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।

बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से 30 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद व जनपद के प्रत्येक तहसील में कम्पनी का क्रियाशील कार्यालय स्थापित करते हुए पर्याप्त संख्या में कार्मिकों तथा अधिसूचित ब्लाक स्तर पर कम से कम 01 बीमा मध्यस्थ को नियुक्त किया जायेगा।

बीमा कम्पनी द्वारा प्रदेश, जनपद व समस्त तहसील स्तर पर स्थापित कार्यालय/नियुक्त अधिकारी व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 कार्यालय में नियुक्ति के पश्चात् अधिकतम 07 कार्य दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगाः-

क्र. सं.	**मद**	**कार्यालय का पता, फैक्स नम्बर, ई-मेल व लैण्डलाइन टेलीफोन नं0**	**नियुक्त अधिकारी का पूर्ण विवरण**		
			कुल संख्या	नाम	मोबाइल/ई-मेल नं0
1	प्रदेश स्तर				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	जनपद स्तर				

बीमा कम्पनी द्वारा तहसील स्तरीय कार्यालय/नियुक्त अधिकारियों व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को नियुक्ति के पश्चात् अधिकतम 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र. सं.	**मद**	**कार्यालय का पता**	**नियुक्त अधिकारी का पूर्ण विवरण**		
			कुल संख्या	**नाम**	**मोबाइल/ ई-मेल नं0**
1	तहसील स्तर				
2	ब्लाक स्तर पर नियुक्त बीमा एजेन्ट				

बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में अपने नेटवर्क/कार्मिकों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम स्तर तक कृषकों तक अपनी पहुँच बढ़ाई जायेगी।

जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा फसल बीमा योजना के मानीटरिंग हेतु जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक (आपदा की स्थिति में माह के मध्य में भी) करायी जायेगी। जनपद में बीमा कम्पनी के अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

21. बीमा कम्पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन की प्रक्रिया का कटाई स्तर पर अनिवार्य रूप से अवलोकन सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की नियुक्ति/उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी।
22. प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा बीमित फसलों पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन व सम्पादन अधिसूचित ग्रामपंचायत स्तर पर प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित किया जायेगा।
23. राज्य स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन की प्रक्रिया में स्मार्टफोन का उपयोग सुनिश्चित कराते हुए सम्पादन की प्रक्रिया, फसल की दशा सम्बन्धी चित्र व उपज के आँकड़ों को फसल बीमा ऐप के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर प्रेषित किया जायेगा।
24. प्रदेश सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयोगों की कटाई स्तर पर अधिकाधिक संख्या में जांच कराई जायेगी एवं भारत सरकार के अपेक्षा के अनुरूप मोबाइल एपलिकेशन का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इसी क्रम में बीमा कम्पनियों द्वारा भी पर्याप्त संख्या में अपने कार्मिकों को फसल कटाई प्रयोगों के कटाई स्तर पर अवलोकन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
25. एक से अधिक वर्षों की अधिसूचना जारी किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आगामी मौसमों में प्रत्येक जनपद में फसल विशेष के अन्तर्गत अधिसूचित प्रीमियम दर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ग्रामपंचायतों की संख्या को अधिसूचित/ D-notify किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

26. बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों को फसल बीमा योजनाओं में कवर किये जाने हेतु विशेष प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे।

27. केन्द्र व राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा बीमा कम्पनियों के स्तर पर उपलब्ध विवरण/खातों का सत्यापन/ऑडिट किया जायेगा, जिसमें बीमा कम्पनियां द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

28. **टेक्नोलॉजी फण्ड ¼Technology Fund½-** भारत सरकार स्तर पर टेक्नोलॉजी फण्ड को स्थापित किया जायेगा। इस फण्ड में ऐसे कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि को बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जायेगा, जहां Area Correction Factor के कारण कृषक के प्रीमियम की देयता कम निर्धारित होती है। इसी प्रकार बीमा कम्पनी पर लगाये गये आर्थिक दण्ड को भी टेक्नोलॉजी फण्ड में बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा फण्ड में उपलब्ध धनराशि का उपयोग राज्य द्वारा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में होने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति में किया जायेगा।

29. **योजना का प्रचार-प्रसार-** बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में कुल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत धनराशि को प्रचार-प्रसार मद में व्यय करते हुए ग्राम स्तर तक योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा एवं योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी:-

- मौसम के प्रारम्भ में बीमा कम्पनी द्वारा बैंक कार्मिकों व जनसुविधा केन्द्रों के कार्मिकों को योजना के प्राविधानों एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।
- मौसम के प्रारम्भ में ही बीमा कम्पनी द्वारा राज्य व जनपद स्तर पर फसल बीमा की कार्यशाला का आयोजन कराया जायेगा। कार्यशाला में राज्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, बैंकों तथा जनसुविधा केन्द्रों के संचालक, जनप्रतिनिधि, कृषक, कृषि उत्पादक संघ आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के प्राविधानों व समय-सीमा की जानकारी सम्बन्धित को सुलभ हो सके।
- बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार के विविध संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर तक कराया जायेगा। बैंक शाखाओं के स्तर पर बीमा कम्पनी का पूर्ण पता व अधिकारी का मोबाइल नम्बर, बीमा एजेण्ट का सम्पर्क विवरण, टोल फ्री नम्बर आदि प्रदर्शित की जायेगी।
- स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से ग्रामपंचायत स्तर तक योजना का प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
- जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों, मा0 मंत्रीगण को योजना की जानकारी तथा अद्यावधिक प्रगति रिपोर्ट बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर सम्पर्क कर तथा अन्य संसाधनों का उपयोग कर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में बैंक शाखाओं एवं जनसुविधा केन्द्र के स्तर पर पर्याप्त संख्या में घोषणा पत्र व प्रस्ताव फार्म की आपूर्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ का कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय, दिन व स्थान आदि का बैंक शाखाओं/बीमा ईकाई स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषक सुगमता से उनसे सम्पर्क कर सके।
- बीमा कम्पनी द्वारा टोलफ्री नं0 जारी किये जायेंगे, जिस पर कृषकों द्वारा स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुरूप आपदा के 72 घंटे के अन्दर व्यक्तिगत क्षति की सूचना दी जा सके।
- बीमा कम्पनी द्वारा बैंक शाखाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान के 30 कार्यदिवस के अंदर बैंकों से भुगतान की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।
- बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक मौसम में अग्रिम रूप से केन्द्र व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

30. अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसानों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नहीं करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। सभी बैंकों को इस सम्बन्ध में प्रचार अभियान चलाते हुए अपने ऋणी कृषकों को अवगत कराना होगा। तीन वर्ष के बाद भारत सरकार के द्वारा ऋणी कृषकों को योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक रूप से कवर करने के सम्बन्ध में समीक्षा की जायेगी।

31. बैंक/बीमा एजेण्ट/जनसुविधा केन्द्रों द्वारा प्रीमियम की धनराशि का बीमा कम्पनी को प्रेषण RTGS/NEFT अथवा फसल बीमा पोर्टल के Payment gateway (Pay-Gov) के माध्यम से तथा बीमा कम्पनी द्वारा इसी प्रकार कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान सम्बन्धित कृषकों के बैंक खाते में आवश्यक रूप से RTGS/NEFT अथवा फसल बीमा पोर्टल के Payment gateway (Pay-Gov) के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा।

32. सभी बैंक शाखाओं द्वारा योजना में बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु कृषकों के आधार नम्बर को अनिवार्य रूप से कृषकों से प्राप्त किया जायेगा।

33. फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निराकरण- भारत सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-25 (पृष्ठ 57 व 58) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

34. **उपज के आँकड़ों में विसंगति का निराकरण-** भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-19 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप उपज के आँकड़ों में विसंगति का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

35. अन्य विवादों का निराकरण- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के संचालन में समय-समय पर आये अन्य विवादों का निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

36. **प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन तथा जनपद स्तर पर प्रभावी व समयबद्ध संचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन व कार्य-**

राज्य स्तर-

- **राज्य स्तरीय समन्वय समिति** (State Level co-ordination committee on crop insurance/ SLCCCI)- प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक मौसम में फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र व फसलों का चयन, बीमित राशि, इन्डेम्निटी स्तर, बीमा की इकाई व बीमा कम्पनियों से आमंत्रित की जाने वाली निविदा शर्तों के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में योजना के संचालन की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- **राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति** (State Level Technical Advisory Committee/ STAC)- प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा जनपद में फसल के उपज के आंकड़ों में विसंगति व अन्य सन्दर्भित किये गये प्रकरणों पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए प्रकरण का निराकरण किया जायेगा।
- **राज्य टेक्निकल सपोर्ट यूनिट** (State Technical Support Unit) - निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के अधीन राज्य स्तरीय टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (STSU) गठित की गयी है, जो फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण, तकनीकी सलाह देने, योजना के मूल्यांकन/प्रभाव व सम्बन्धित अध्ययन, फसल बीमा हेतु समग्र डाटाबेस विकसित करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी।

जनपद स्तर-

- **जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति** (District Level Monitoring committee /DLMC)- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस समिति द्वारा प्रत्येक माह (आपदा की स्थिति में यथा आवश्यकतानुसार माह के मध्य में भी) समिति की बैठक आहूत करते हुए योजना के प्रचार-प्रसार कृषकों की सहभागिता, फसलों के क्षेत्रफल में विसंगति, फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन तथा फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित आँकड़ों में विसंगति का निराकरण, क्षतिपूर्ति की धनराशि का बैंकों द्वारा कृषकों के खातों में समायोजन आदि की समीक्षा के साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में समय-समय पर आ रही सभी कठिनाइयों का निराकरण व समाधान जनपद स्तर पर सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा जनपद में कृषक, बैंक शाखाओं व बीमा कम्पनी द्वारा सन्दर्भित किये गये प्रकरण/शिकायत के निराकरण हेतु जनपद स्तर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पर उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति, जनपद स्तरीय शिकायत निराकरण समिति तथा जनपद स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के स्तर पर कृत कार्यवाही/निर्णय की समीक्षा तथा जनपद में फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में समय-समय पर आ रही सभी कठिनाइयों का समय से निराकरण की कार्यवाही की जायेगी।

- **जिला स्तरीय संयुक्त समिति** (District Level Joint Committee/DLJC)- प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्रामपंचायत स्तर पर व्यापक रूप से फसल की बुआई न कर पाने, असफल बुवाई की स्थिति तथा खड़ी फसलों की कटाई से 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में फसल की उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में उल्लिखित आपदाओं से प्रभावित ग्रामपंचायत व प्रभावित फसल की सूचना प्राथमिकता पर आपदा के 03 कार्यदिवस के अन्दर जिलाधिकारी/ उप कृषि निदेशक कार्यालय में दी जायेगी। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्वयं अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय के प्रस्ताव के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों व प्रभावित फसलों की लिखित सूची जनपद के उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति के सदस्यों, जिसमें प्रभावित क्षेत्र का राजस्व निरीक्षक, उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कृषक प्रतिनिधि व बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि सदस्य है, को जारी की जायेगी। इसी प्रकार स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के उपरान्त ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में क्षति की बीमित कृषकों से व्यक्तिगत दावा की स्थिति में भी उप कृषि निदेशक द्वारा प्रभावित क्षेत्रों व प्रभावित फसलों की सूचना प्रभावित क्षेत्र का राजस्व निरीक्षक, उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कृषक प्रतिनिधि व बीमा कम्पनी का प्रतिनिधि सदस्य है, को जारी की जायेगी।
- जनपद में उप कृषि निदेशक द्वारा योजनान्तर्गत खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के उपरान्त ग्राम पंचायत में 25 प्रतिशत से कम क्षेत्र में क्षति की बीमित कृषकों से व्यक्तिगत दावा की स्थिति में कृषि विभाग का प्रतिनिधि को नामित किया जायेगा जिसकी उपस्थिति में बीमा कम्पनी के सर्वेयर द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर क्षति के आंकलन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा में संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए फसलों की क्षति का आंकलन किया जायेगा एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट तत्काल बीमा कम्पनी को कृषकों को देय क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी। बीमा कम्पनी की संयुक्त समिति के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में योजना के प्राविधानों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट बीमा कम्पनी को उपलब्ध करायी जायेगी एवं बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कृषकों को समयबद्ध रूप से आंशिक क्षतिपूर्ति/तात्कालिक सहायता का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- जिला स्तरीय संयुक्त समिति द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति उप कृषि निदेशक को भी उपलब्ध करायी जायेगी। उप कृषि निदेशक द्वारा जिला स्तरीय संयुक्त समिति की सर्वेक्षण/कार्यवाही रिपोर्ट को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।
- **जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति (DGRC)-**

  कृषकों/बैंकों/सम्बन्धित विभागों की शिकायत का प्रथम चरण में निराकरण बीमा कम्पनी के तहसील/जनपद स्तरीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में शिकायत प्राप्त होने पर 07 कार्य दिवस में सुनिश्चित किया जायेगा। कृषकों द्वारा योजना के प्राविधानों, बीमा कराने, व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करने, क्षतिपूर्ति आदि की जानकारी, बैंकों द्वारा योजना की जानकारी अथवा पोर्टल पर बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने में आ रही कठिनाईयों तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के स्तर पर पोर्टल पर मोबाइल नम्बर के पंजीकरण, उपज के आंकड़ों को अपलोड करने में आ रही कठिनाईयॉ आदि के निराकरण हेतु बीमा कम्पनी के तहसील/जनपदीय कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकेगा।

37. **राज्यांश की मांग-**

1. बीमा कम्पनियों की राज्यांश की समस्त मांग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश अधिकृत होगें।
2. बीमा कम्पनियों द्वारा प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की मांग एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
3. बीमा कम्पनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में गत मौसम में योजना की प्रगति विवरण के आधार पर राज्यांश की माँग अग्रिम के रूप में योजनावार खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर तक निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के कार्यालय को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से समस्त सूचनाओं/विवरण/प्रमाणपत्रों के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
4. बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ मौसम में दिनांक 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 31 दिसम्बर से 60 कार्यदिवस के अन्दर अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजनावार अधिसूचित बीमा ईकाई क्षेत्रवार व बीमित कृषकवार बीमा की प्रगति विवरण (पोर्टल पर उपलब्ध प्रगति विवरण के अनुरूप) के आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु राज्यांश की द्वितीय मांग को समस्त सूचनाओं/विवरण/प्रमाण पत्रों के साथ भुगतान हेतु कृषि विभाग को एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0 के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।
5. वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत वर्षों के राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान/समायोजन कृषि निदेशक के संज्ञान में लाते हुए निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की मांग के साथ निम्न आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा-
   - बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की जा रही राज्यांश की मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है।
   - कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।
   - बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विसंगति हेतु सम्बन्धित बीमा कम्पनी स्वयं उत्तरदायी होगी।
   - बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश के रूप में जितनी धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जा रही है, उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है।
   - बीमा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है एवं उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

38. **अनुश्रवण व समीक्षा-** बीमा कम्पनी के जनपदीय/तहसील स्तरीय कार्यालय पर कार्यरत स्टाफ द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातो में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन बैंक शाखाओं के स्तर पर करते हुए रिपोर्ट जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को प्रस्तुत की जायेगी। बीमा कम्पनी के प्रदेशीय व मुख्यालय स्तर से कम से कम 1 या 2 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातो में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन किया जायेगा। प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।

39. योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र व राज्य सरकार की वित्तीय देयता प्रीमियम पर अनुदान मद तक सीमित होगी। योजना के क्रियान्वयन में अन्य सभी मदों तथा कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति को पूर्णरूपेण क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। **बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के 07 दिन के उपरान्त भुगतान करने पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दण्ड ब्याज वहन करते हुए कृषकों को भुगतान करना होगा। बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के नोडल विभाग को निर्धारित समय-सीमा में राज्यांश की मांग अवश्य प्रस्तुत की जानी होगी। बीमा कम्पनी द्वारा राज्यांश की माँग निर्धारित समय-सीमा में नहीं करने पर कृषकों की देय क्षतिपूर्ति को रोका नहीं जायेगा।**

40. क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से कॉल सेन्टर (Call Centre) को अधिसूचना जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर प्राथमिकता पर संयुक्त रूप से व्ययभार वहन करते हुए स्थापित कराया जायेगा। कॉल सेन्टर द्वारा कृषकों व सम्बन्धित विभागों द्वारा किये गये प्रश्नों/शिकायतों को प्राप्त करते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्धित बीमा कम्पनी को प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

41. बीमा कम्पनियों को फसल धान के बीमा इकाई क्षेत्रवार उपज के आँकड़े विभाग द्वारा चावल के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

42. जनपद सोनभद्र में अधिसूचित सभी फसलो को असिंचित क्षेत्रफल की श्रेणी में तथा अवशेष सभी जनपदों में अधिसूचित सभी फसलो को सिंचित क्षेत्रफल की श्रेणी में रखा गया है।

43. बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों/सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों द्वारा संदर्भित की गई समस्याओं/कठिनाईयों/ सूचनाओं का निस्तारण भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए अपेक्षित सूचनाओं को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। जनसूचना/ जनसुनवाई/कोर्टकेस/लोकसभा प्रश्न/राज्यसभा प्रश्न/विधानसभा प्रश्न/विधान परिषद प्रश्न/उपभोक्ता फोरम/जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेच्छाओं/ कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में उत्तर/निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

44. कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा इकाई-ग्राम पंचायतवार उपज के ऑकड़ों को क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण की निर्धारित अन्तिम तिथियॉ- कृषि विभाग द्वारा खरीफ तथा रबी मौसम में अधिसूचित फसलों के अधिसूचित क्षेत्रवार उपज के ऑकड़े फसल कटाई के पूर्ण होने के एक माह की समयावधि में ऑकलित करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

45. निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जनपदों के जनपदवार कृषि से सम्बन्धित कार्यालय स्तर पर उपलब्ध ऑकड़े क्रियान्वयन अभिकरण की मॉग के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।

46. बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण बैंक शाखा स्तर एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।

47. कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

48. भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तदनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

49. राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

50. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह अथवा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

51. क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमा क्षतिपूर्ति नोडल बैंक (बैंक शाखा/जिला सहकारी बैंक) को जारी करते हुए योजना का जनपद में फसलवार एवं बैंकवार विस्तृत विवरण सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक तथा उसकी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

52. **दण्ड** (Penalty)- फसल बीमा योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है अथवा कृषक को योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, की स्थिति में प्रत्येक मौसम में बीमा कम्पनी के प्रदर्शन की समीक्षा की जायेगी एवं परिशिष्ट-7 में उल्लिखित तालिका के अनुरूप आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। आर्थिक दण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही के विरूद्ध बीमा कम्पनी को अपना पक्ष एक माह के अन्दर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

53. बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान विलम्ब से करने की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुसार दण्ड के रूप में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वहन करते हुए कृषकों को भुगतान करना है। अस्तु वर्ष 2019-20 में कार्यरत जिस भी बीमा कम्पनी का चयन वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के लिए होता है और सम्बन्धित बीमा कम्पनी जिसने वर्ष 2019-20 की क्षतिपूर्ति का भुगतान विलम्ब से किया है परन्तु देय ब्याज की धनराशि का भुगतान किसी कारणवश कृषकों को नहीं किया गया है, तो उस ब्याज की धनराशि को सम्बन्धित बीमा कम्पनी के आगामी मौसम के राज्यांश की मांग में से विभाग द्वारा दण्ड के रूप में काटते हुए ब्याज की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कृषकों को सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित बीमा कम्पनी पर लगाये गये इस दण्ड की धनराशि के कारण कम्पनी के द्वारा आगामी मौसमों में कृषकों को देय क्षतिपूर्ति के भुगतान में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। यही व्यवस्था आगामी मौसम एवं वर्षो में सभी सम्बन्धित बीमा कम्पनियों पर लागू होगी।

बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति के भुगतान में किसी वर्ष में कोई कटौती की जाती है तो सम्बन्धित बीमा कम्पनी को योजना के प्राविधानों का अनुपालन नहीं करने एवं टेण्डर की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुए बीमा कम्पनी को आवंटित जनपदों में कार्य करने के लिए विभाग एवं कम्पनी के मध्य अनुबन्ध को आगामी मौसम के लिए समाप्त किया जा सकता है तथा बीमा कम्पनी को आगामी मौसमों के लिए काली सूची में भी डाला जा सकता है।

वर्ष 2019-20 में कार्यरत जिस किसी भी बीमा कम्पनी का चयन आगामी वर्ष के लिए नहीं होता है और उस कम्पनी पर ब्याज की देयता बनती है एवं कम्पनी के द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, संज्ञानित होने पर ब्याज की धनराशि की वसूली प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं अथवा भारत सरकार के माध्यम से कराते हुए सम्बन्धित कृषकों को सम्बन्धित बीमा कम्पनी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा ब्याज की धनराशि की देयता का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बीमा कम्पनी को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना के प्राविधानों का अनुपालन नहीं करने का दोषी मानते हुए सम्बन्धित बीमा कम्पनी को काली सूची में डाला जा सकता है।

54. योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपद के अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ से सम्पर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:17/2020/1344(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार,कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, अम्बरदीप, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
8. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. मुख्य आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
13. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
14. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
15. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
16. महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
17. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
18. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, 2-सप्रूमार्ग, लखनऊ।
20. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
21. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9 विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
22. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
23. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हजरतगंज लखनऊ।
24. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
25. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, 5वां तल, जीवन भवन, फेज-2, नवल किशोर रोड, लखनऊ।
26. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0, प्लेट बी व सी, ऑफिस ब्लॉक 1, पांचवा तल, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली।
27. प्रबन्ध निदेशक, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, इफको टावर, पंचम तल, प्लाट नं0-3, सेक्टर-29 गुडगांव, हरियाणा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

28. प्रबन्ध निदेशक, एच0डी0एफ0सी0- एरगो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, छठवां तल, लीला बिजनेस पार्क, अन्धेरी, कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई।
29. मुख्य विपणन अधिकारी, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0, यूनिट नं0- 401, चतुर्थ तल, संगम काम्पलेक्स, 127 अन्धेरी, कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई।
30. महाप्रबन्धक, इण्डियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक), जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
31. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
32. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4-सप्रू मार्ग, लखनऊ।
33. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4-बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
34. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ।
35. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
36. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8-ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
37. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं0-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
38. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
39. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं0-183, कैसरबाग, लखनऊ।
40. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
41. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
42. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
43. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
44. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
45. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
46. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
47. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
48. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
49. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।
50. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल।
51. उप जनरल मैनेजर, कार्पोरेशन बैंक, 1-1/एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
52. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चैराहा, लखनऊ।
53. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
54. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
55. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
56. संयुक्त कृषि निदेशक, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
57. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
58. उप कृषि निदेशक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
59. जिला कृषि अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
60. जिला उद्यान अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
61. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
62. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
63. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in